राजभाषा विभाग

यह विभाग राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम 1976 के संवैधानिक उपबंधों और राजभाषा नीति के संबंध में संविधान के उपबंधों का कार्यान्वयन एवं इससे संबंधित मामलों का कार्य करता है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से पटियाला रेल इंजन कारख़ाना, पटियाला में मुख्य राजभाषा अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में राजभाषा विभाग कार्य कर रहा है।

इस विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :

- **मुख्य राजभाषा अधिकारी :-**

  इस संगठन में राजभाषा विभाग के विभागाध्यक्ष, मुख्य राजभाषा अधिकारी हैं, जिनका प्रतिवर्ष रेलवे बोर्ड द्वारा नामन किया जाता है और राजभाषा विभाग का कार्य उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- **राजभाषा अधिकारी:-**

  इस संगठन में राजभाषा अधिकारी द्वारा राजभाषा विभाग का कार्य संपन्न किया जा रहा है तथा उनके द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन गहनता से मॉनीटर किया जा रहा है।

- **सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण:-**

  इस संगठन में हिंदी से सम्बन्धित सभी प्रकार का प्रशिक्षण यथा हिंदी भाषा, हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं को हिन्दी की-बोर्ड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- **राजभाषा कार्यान्वयन समिति:-**

  पी.एल.डब्ल्यू. में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, प्र. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं। इस संगठन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन समय पर एवं नियमित रूप से किया जाता है। बैठकों में राजभाषा के कार्यान्वयन की प्रगति तथा संबंधित अन्य मुद्दों के अनुपालन पर गहन समीक्षा एवं चर्चा की जाती है।

- **कार्यालयों का निरीक्षण:-**

  पी.एल.डब्ल्यू. में राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने तथा राजभाषा के प्रयोग-प्रसार की समीक्षा करने के उद्देश्य से राजभाषा अधिकारी द्वारा इस संगठन के कार्यालयों/शॉपों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में जहां कमी पाई जाती है, वहां प्रभावी उपाय सुझाए जाते हैं।

- **हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन:-**

  सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से इस संगठन के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक तिमाही के दौरान नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

- **अनुवाद कार्य:-**

  पी.एल.डब्ल्यू. के विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए टेंडर नोटिस, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्तियां तथा आवधिक रपटों का अनुवाद राजभाषा विभाग द्वारा समय पर संपन्न किया जाता है।